# मध्यप्रदेश शासन वन विभाग

क्रमांक/7/23/79/10/3 भोपाल, दिनांक 16 सितम्बर 1985

प्रति,

प्रमुख वन संरक्षक

मध्यप्रदेश भोपाल

**विषयः— मध्यप्रदेश के वनों से निस्तार सुविधाएं।**

**संदर्भः— म0प्र0शासन वन विभाग का पत्र क्रमांक/7/13/75/10/2 दिनांक 12—4—77.**

—0—

राज्य शासन ने उपरोक्त पत्र द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में जनसाधारण को उपलब्ध कराई जाने वाली निस्तार सुविधा बाबत् निर्देश जारी किये थे एवं दरों का निर्धारण किया था। राज्य शासन द्वारा उक्त विषय पर विचार किया जाकर इन सुविधाओं में या दरों में परिवर्तन करने का निर्णय लिया गया है जो निम्नानुसार हैः—

**(1) बॉस :— बांस प्रदाय के संबंध में व्यवस्था निम्नानुसार रहेगीः—**

(अ) ग्रामीणों के लिये :— प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति बर्ष 250 बांस तक दिये जायेंगें। बांस का प्रदाय विभागीय डिपो से ही किया जावेगा। बांस की रायल्टी रूपये 0.25 प्रति बांस होगी तथा इसमें वास्तविक कटाई एवं ढुलाई व्यय लगाते हुये डिपो से प्रदाय दर वन संरक्षक द्वारा निर्धारित की जायेगी।

**(ब) बसोड़ों के लिये** :— प्रत्येक बसोड़ परिवार को प्रति वर्ष उपलब्धता के आधार पर 1500 बांस तक प्रदाय किये जायेंगें। प्रदाय विभागीय डिपो से किया जायेगा। वनों से 40 कि.मी. तक की दूरी वाले डिपो से प्रथम 500 बांस की दर रूपये 0.60 प्रति बांस एवं इससे अधिक व 1500 तक रूपये 0.75 प्रति बांस रहेगी। 40 कि.मी. से अधिक दूरी वाले डिपो में अतिरिक्त परिवहन व्यय जोड़कर दरों का निर्धारण वन संरक्षक द्वारा किया जायेगा।

**(स) पान बरेजा के लियेः—** उपरोक्त आवश्यकता की पूर्ति होने पर उपलब्धता के आधार पर पान बरेजा वालों को बांस उपलब्ध कराया जायेगा। प्रत्येक पान बरेजा परिवार को एक वर्ष में अधिकतम एक हजार बांस तक दिये जायेंगें। प्रदाय विभागीय डिपो से किया जायेगा। बांस की रायल्टी रूपये 1.50 प्रति बांस रहेगी एवं वास्तविक कटाई ढुलाई व्यय जोड़कर डिपो से प्रदाय दर का निर्धारण वन संरक्षक द्वारा किया जायेगा।

**(द)** फल उत्पादकों, अगरबत्ती निर्माताओं, ओर बीड़ी की चोखट बनाने वालों के लिये औद्योगिक बांस अधिकतम पाँच नोशनल टन तक एक वर्ष में दिया जा सकेगा एवं प्रदाय दर रूपये 200/— प्रति नोशनल टन या मिलों को प्रदाय दर जो भी अधिक ही रहेगी। प्रत्येक वर्ष इन दरों की सूचना मुख्य वन संरक्षक द्वारा संबंधितों को दी जायेगी।

(2) जलाऊ लकड़ी :–

(अ) शासकीय वनों से गिरी, पड़ी, मरी, सूखी जलाऊ लकड़ी सिरबोझ से स्वंय के निस्तार या बेचने के लिये निःशुल्क ले जाई जा सकती है।

(ब) इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में वास्तविक निस्तार के लिये वनों से गिरी, पड़ी, मरी, सूखी लकड़ी उपलब्धता के आधार पर बैलगाड़ी या भैसागाड़ी द्वारा ले जा सकते हैं जिसका शुल्क रूपये 6 प्रति गाड़ी होगा। बस्तर जिले में यह दर 3/– रूपये ही रहेगी। यह सुविधा उन क्षेत्रों में ही वन अधिकारी द्वारा दी जायेगी जहॉ गिरी, पड़ी, मरी, सूखी लकड़ी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो।

(स) यदि निस्तार की पूर्ति के पश्चात् भी वनों में गिरी, पड़ी, मरी, सूखी जलाऊ लकड़ी शेष रहती है तो उन्हें बैलगाड़ी/भैसागाड़ी द्वारा विक्रय हेतु भी दिया जा सकेगा। यह दर रूपये 18/– प्रति गाड़ी होगी। बस्तर जिले में यह दर रूपये 4/– प्रति गाड़ी होगी। इस कार्य हेतु जलाऊ लकड़ी उपलब्ध कराने का निर्णय वन मंडलाधिकारी द्वारा लिया जायेगा। ये दरें दिनांक एक अक्टूबर 1985 से लागू मानी जायेगी।

निस्तारी व इमारती लकड़ी एवं काटों के संबंध में शासन द्वारा पूर्व में जारी निर्देश पूर्ववत् रहेगें।

(के.के.सेठी)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन वन विभाग

पृ. क्रमांक/7/23/79/10/3 भोपाल, दिनांक 16 सितम्बर 1985

प्रतिलिपिः–

1– समस्त आयुक्त, मध्यप्रदेश

2– समस्त जिलाध्यक्ष मध्यप्रदेश

3– समस्त वन संरक्षक उत्पादन/विकास

4– समस्त वन संरक्षक मध्यप्रदेश

5– समस्त वन मंडलाधिकारी मध्यप्रदेश.

(के.के.सेठी)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन वन विभाग